# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर

## राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2019, परीक्षा दिनांक 19.09.2021 एवं राज्य वन सेवा विशेष मुख्य परीक्षा–2019, परीक्षा दिनांक 19.03.2023 नॉर्मलाईजेशन पश्चात् संशोधित पुनरीक्षित नवीन परीक्षा परिणाम

विज्ञप्ति क्र.–960/11/2019/अनु.–10 इंदौर, दिनांक :– 26/04/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक–04/2019/14.11.2019, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 09.12.2019, (1) शुद्धि पत्र क्रमांक–01/03–04/2019 दिनांक 18.11.2019 (परीक्षा शुल्क के संबंध में।), (2) शुद्धि पत्र क्रमांक–04/03–04/2019 दिनांक 09.12.2019 (अधिकतम आयु सीमा एवं ऑनलाइन आवेदन अवधि में वृद्धि की सूचना के संबंध में।), के अंतर्गत सहायक वन सरंक्षक के कुल–06 पदों राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2019 दिनांक 12.01.2020 को आयोजित की गई थी एवं इसका परिणाम दिनांक 21.12.2020 को जारी किया गया था। दिनांक 21.12.2020 को जारी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थियों हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2019 दिनांक 19.09.2021 को आयोजित की गई थी। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2019 का परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति क्र.–8656/11/2021/अनु.–10 दिनांक 31.12.2021 को घोषित कर साक्षात्कार आयोजन दिनांक 29.03.2022 को आयोजित किए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.–542/2021 के निर्णय दिनांक 07.04.2022 राज्य सेवा परीक्षा–2019 के लिए पारित आदेश के परिपालन में आयोग द्वारा समान नीति का पालन करते हुए राज्य वन सेवा परीक्षा–2019 के प्रारंभिक परीक्षा का पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति क्रमांक–7821/05/2021/अनु.–10 दिनांक 10.10.2022 को जारी किया गया था। पूर्व घोषित राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2019 परिणाम दिनांक 21.12.2020 एवं राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2019 परिणाम दिनांक 31.12.2021 परीक्षा परिणाम निरस्त किए गए। तत्पश्चात् डब्ल्यू.पी. 23828/2022 के निर्णय दिनांक 29.11.2022 में पारित आदेश के परिपालन में आयोग द्वारा राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2019 का संशोधित पुनरीक्षित परिणाम विज्ञप्ति क्र.–13040/05/2021/अनु.–10 दिनांक 13.01.2023 को घोषित किया गया। तद्नुसार दिनांक 13.01.2023 के परिणाम में केवल नवीन अर्ह अभ्यर्थियों हेतु राज्य वन सेवा विशेष मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 19.03.2023 को किया गया।

02/ उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की श्रेणीवार कुल संख्या निम्नानुसार थी :–

| श्रेणी | कुल विज्ञापित पद |
|---|---|
| अनारक्षित (UR) | 2 |
| अनुसूचित जाति (SC) | 1 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 1 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 1 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 1 |
| **कुल** | **6** |

03/ राज्य सेवा परीक्षा–2019 के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक–23828/2022 एवं अन्य समान याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 के अनुसार ही आयोग द्वारा अपनी बैठक दिनांक 29.09.2022 में राज्य वन सेवा परीक्षा–2019 हेतु भी समान नीति लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार दिनांक 19.03.2023 को केवल नवीन अर्ह अभ्यर्थियों की राज्य वन सेवा विशेष मुख्य परीक्षा–2019 का आयोजन किया गया।

04/ तद्नुसार आयोग द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार पूर्व में आयोजित राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2019 दिनांक 19.09.2021 एवं राज्य वन सेवा विशेष मुख्य परीक्षा–2019 दिनांक 19.03.2023 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों पर विषय–विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रस्तावित नॉर्मलाईजेशन फॉर्मूले का उपयोग करते हुए संशोधित पुनरीक्षित नवीन लिखित परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। इस संशोधित पुनरीक्षित नवीन लिखित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों में से केवल नवीन अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का ही आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा परिणाम में शेष अर्ह अभ्यर्थी जो पूर्व में साक्षात्कार दिनांक 29.03.2022 में सम्मिलित हो चुके है ऐसे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के सीलबंद रखे गए प्राप्तांकों का उपयोग चयन परिणाम तैयार करने हेतु किया जाएगा।

अविरत/......

05/ राज्य सेवा परीक्षा–2019 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के अंतरिम आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. भोपाल के "पत्र क्रमांक–एफ 07–46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" के प्रकाश में आयोग द्वारा अपनी बैठक दिनांक 29.09.2022 के निर्णय में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए संशोधित पुनरीक्षित नवीन परीक्षा परिणाम दो भागों में है–(अ) मुख्य भाग (87 प्रतिशत के आधार पर) तथा (ब) प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु)। पूर्व आयोजित राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2019 दिनांक 19.09.2021 एवं राज्य वन सेवा विशेष मुख्य परीक्षा–2019 दिनांक 19.03.2023 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के नॉर्मलाईजेशन के पश्चात् **संशोधित पुनरीक्षित नवीन परीक्षा परिणाम** में साक्षात्कार हेतु **मुख्य भाग–अ** के लिए प्रावधिक रूप से अर्ह पाए गए **कुल–19** अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :–

अविरत/......

# MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

## STATE FOREST SERVICE MAIN EXAM 2019 PART A (MAIN) REVISED AFTER NORMALIZATION

## ROLL NUMBER WISE LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR INTERVIEW

| S.NO. | ROLLNO |
|---|---|
| 1. | 100004 |
| 2. | 100009 |
| 3. | 100015 |
| 4. | 100016 |
| 5. | 100017 |
| 6. | 100018 |
| 7. | 100019 |
| 8. | 100023 |
| 9. | 100026 |
| 10. | 100027 |
| 11. | 100042 |
| 12. | 100045 |
| 13. | 100062 |
| 14. | 100063 |
| 15. | 100071 |
| 16. | 100072 |
| 17. | 100076 |
| 18. | 100078 |
| 19. | 100083 |

26/4/23

# प्रावधिक भाग–ब

राज्य वन सेवा परीक्षा–2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद विज्ञापित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर प्रकरण विचाराधीन हैं। **सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित दिशा–निर्देश 29.09.2022 को लागू करने पर भी राज्य वन सेवा प्रारंभिक–2019 का संशोधित पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम मुख्य भाग–अ तक ही सीमित रहेगा एवं प्रावधिक भाग–ब निरंक होगा।**

**अभिलेख प्रेषित करने हेतु निर्देश :–**

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र–01

विज्ञापन क्रमांक :– 04/2019 दिनांक 14.11.2019

पद/परीक्षा का नाम :— राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2019

अभ्यर्थी का नाम :–............................................................................ आवेदन क्रमांक/अनुक्रमांक–......................................................

| स.क्र. | दस्तावेज का विवरण | संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक | संलग्नक पृष्ठों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | व्यक्तिगत विवरण–1 मूल प्रति। | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 2. | अनुप्रमाणन फॉर्म–3 मूल प्रति। | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 3. | हाई स्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 4. | हायर सेकेण्डरी की अंकसूची। (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 5. | स्नातक/स्नातकोत्तर की समस्त वर्षो की अंकसूचियां एवं उपाधि। (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 6. | शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र–01 मूल प्रति। | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 7. | घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा में विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी)–01 मूल प्रति। | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 8. | अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र–01 मूल प्रति। | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 9. | मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र। (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 10. | मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र की प्रति। (प्रमाण–पत्र में गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 11. | ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का आवेदक होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू. एस. श्रेणी का वैध प्रमाण–पत्र की प्रति। (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 12. | महिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत/उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 13. | आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील, एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें।) (म.प्र शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण–पत्र मान्य होंगे)। (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 14. | शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण–पत्र न हो तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न करें। (छायाप्रति) | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |

अविरत/.....

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | मुख्य भाग–87 प्रतिशत एवं प्रावधिक भाग–13 प्रतिशत के संबंध में अभिवचन पत्र – उपरोक्त अभिवचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी। | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| 16. | अन्य कोई आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रतियां जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है। | पृष्ठ क्रमांक............से ........... तक | संलग्नक ........ |
| | **कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अंकों में)** | | |
| | **कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (शब्दों में)** | | |

**दिनांक :–...................................** **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :–..........................................................**

06/ उपरोक्तानुसार जारी संशोधित पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम में नवीन अर्ह अभ्यर्थी परिशिष्ट प्रपत्र–01 अनुसार क्रम में प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्नक पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक **10.05.2023** तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने दस्तावेज आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे शारीरिक क्षमता परीक्षण/साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहें है, उनकी उम्मीद्वारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

## महत्वपूर्ण टीप :–

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णत प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी राज्य वन सेवा परीक्षा–2019 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तो को पूर्ण नहीं करते है तो सांक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिन्होंने शासन द्वारा निर्धारित छूट का लाभ नहीं लिया है तथा जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
3. राज्य वन सेवा/राज्य वन सेवा विशेष परीक्षा–2019 के अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकेगी।
6. राज्य वन सेवा/राज्य वन सेवा विशेष परीक्षा–2019 में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाईट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
7. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्तानुसार जारी प्रावधिक लिखित परीक्षा परिणाम का अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.–5901/2019 एवं समान अन्य याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
9. राज्य वन सेवा/राज्य वन सेवा विशेष परीक्षा–2019 का परीक्षा परिणाम असंशोधित राज्य सेवा परीक्षा नियम–2015, दिनांक 02 नवम्बर 2015 के अनुसार जारी किया गया है।
10. आयोग के राज्य वन सेवा परीक्षा–2019/राज्य वन सेवा विशेष मुख्य परीक्षा–2019 के साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों में से केवल नवीन अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का ही आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा परिणाम में शेष अर्ह अभ्यर्थी जो पूर्व में साक्षात्कार दिनांक 29.03.2022 में सम्मिलित हो चुके है ऐसे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के सीलबंद रखे गए प्राप्तांकों का उपयोग चयन परिणाम तैयार करने हेतु किया जाएगा।

अविरत/....

11. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि साक्षात्कार हेतु नवीन अर्ह अभ्यर्थी अपने अभिलेख दिनांक **10.05.2023** तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :–

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,

लिफाफे पर **राज्य वन सेवा/राज्य वन सेवा विशेष मुख्य परीक्षा–2019** के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।

26/04/23

**उप परीक्षा नियंत्रक**